न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—

अमरसिंह पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी डाबड़ा छोटा तहसील तारानगर जिला चुरू हाल चक 3 एस.एल.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :— 05/01/2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक वाके 3 एस.एल.एम. के मु.न. 235/61 के कि.न. 1 ता 21 की कुल 21.00 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आंवटन शुदा है। प्रार्थी ने समय—समय पर भूमि की समस्त किश्तें जमा करवा दी है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्तमान में कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 18.08.2017 को ऑनलाईन जमाबन्दी निकलवाई तो पता चला कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम पन्नाराम की जगह पल्लाराम अंकित हैं, जो कि राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हो गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पिता के नाम की दुरूस्ती कर पल्लाराम के स्थान पर पन्नाराम की जाती है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 05/01/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/1/18

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला–बीकानेर)